

प्रेस नोट

पुलिस अधीक्षक कानपुर देहात के निर्देशन में दिनांक:- 10.04.2024 को जनपद में अपराधियों के विरुद्ध व अपराध नियन्त्रण हेतु चलाये जा रहे अभियान एवं जनपद में शान्ति व्यवस्था कायम

रखने हेतु की गयी कार्यवाही का विवरण:-

- थाना बरौर पुलिस द्वारा मु0अ0सं0 22/2022 धारा 363/376डी/323/344/367/120बी भा0द0वि0 व 5/6 अनेतिक व्यापार अधिनियम व 3(2)5 SC/ST ACT में वारण्टी अभियुक्त मनोज शर्मा उर्फ बन्टी पुत्र स्व0 रामकिशुन निवासी ग्राम बडवन थाना कैलारश जनपद मुँरैना म0प्र0 को गिरफ्तार कर विधिक कार्यवाही की गयी।
- थाना अकबरपुर पुलिस द्वारा अभियुक्त अरविन्द कुमार पुत्र स्व0 बाबूलाल चमार निवासी ग्राम निरंजनपुर थाना अकबरपुर जनपद कानपुर देहात के कब्जे से दो अलग अलग पिपिया में 20 – 20 लीटर कुल 40 लीटर अवैध देशी कच्ची शराब बरामद होने के सम्बन्ध में गिरफ्तार कर मु0अ0सं0 162/2024 धारा 60 आबकारी अधिनियम पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की गयी।
- थाना रूरा पुलिस द्वारा अभियुक्त विवेक कुमार पुत्र गोविन्द (शंखवार) निवासी ग्राम सराय थाना रूरा जनपद कानपुर देहात के कब्जे से नाजायज 15 लीटर देशी शराब बरामद होने के सम्बन्ध में गिरफ्तार कर मु0अ0सं0 121/2024 धारा 60 आबकारी अधिनियम पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की गयी।
- थाना भोगनीपुर पुलिस द्वारा अभियुक्त संदीप पुत्र श्री रामबहादुर निवासी हलधरपुर थाना भोगनीपुर जनपद कानपुर देहात के कब्जे से 20 लीटर नाजायज कच्ची शराब बरामद होने के सम्बन्ध में गिरफ्तार कर मु0अ0सं0 103/2024 धारा 60 आबकारी अधिनियम पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की गयी।
- थाना भोगनीपुर पुलिस द्वारा अभियुक्त सन्तोष पुत्र शिवराम निवासी हलधरपुर थाना भोगनीपुर जनपद कानपुर देहात के कब्जे से 40 लीटर नाजायज कच्ची शराब बरामद होने के सम्बन्ध में गिरफ्तार कर मु0अ0सं0 105/2024 धारा 60 आबकारी अधिनियम पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की गयी।
- थाना भोगनीपुर पुलिस द्वारा अभियुक्त रंजन पुत्र मेहंदी हसन निवासी मो0 जवाहर नगर पुखरायां थाना भोगनीपुर जनपद कानपुर देहात के कब्जे से 40 लीटर नाजायज कच्ची शराब बरामद होने के सम्बन्ध में गिरफ्तार कर मु0अ0सं0 106/2024 धारा 60 आबकारी अधिनियम पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की गयी।
- थाना सट्टी पुलिस द्वारा अभियुक्त जितेन्द्र पुत्र आशाराम निवासी ग्राम नैकपुरा थाना पनवाही जनपद महौबा के कब्जे से 20 लीटर नाजायज शराब बरामद होने के सम्बन्ध में गिरफ्तार कर मु0अ0सं0 25/2024 धारा 60 आबकारी अधिनियम पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की गयी।
- थाना सिकन्दरा पुलिस द्वारा अभियुक्त शिवम पुत्र रामपाल निवासी मूढादेव थाना सिकन्दरा जनपद कानपुर देहात के कब्जे से 02 अदद पिपियों में 30 लीटर देशी अवैध शराब नाजायज बरामद होने के सम्बन्ध में गिरफ्तार कर मु0अ0सं0 82/2024 धारा 60 आबकारी अधिनियम पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की गयी।

- थाना सिकन्दरा पुलिस द्वारा अभियुक्त बृजेश पुत्र स्व० श्रीराम निवासी निन्हौरा थाना सिकन्दरा जनपद कानपुर देहात के कब्जे से 02 अदद केन में 30 लीटर देशी अवैध शराब नाजायज बरामद होने के सम्बन्ध में गिरफ्तार कर मु०अ०सं० 83/2024 धारा 60 आबकारी अधिनियम पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की गयी।
- थाना सिकन्दरा पुलिस द्वारा अभियुक्त सर्वेश कुमार पुत्र रामस्वरूप कटियार निवासी नन्दना थाना सिकन्दरा जनपद कानपुर देहात के कब्जे से 02 अदद केन में 30 लीटर देशी अवैध शराब नाजायज बरामद होने के सम्बन्ध में गिरफ्तार कर मु०अ०सं० 84/2024 धारा 60 आबकारी अधिनियम पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की गयी।
- थाना सिकन्दरा पुलिस द्वारा अभियुक्त धर्म सिंह पुत्र स्व० अमर सिंह निवासी मोहल्ला जवाहर नगर कस्बा व थाना सिकन्दरा जनपद कानपुर देहात के कब्जे से 02 अदद पिपियों में 30 लीटर देशी अवैध शराब नाजायज बरामद होने के सम्बन्ध में गिरफ्तार कर मु०अ०सं० 85/2024 धारा 60 आबकारी अधिनियम पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की गयी।
- थाना सिकन्दरा पुलिस द्वारा अभियुक्त पवन कटियार पुत्र राजनारयण कटियार निवासी ग्राम सरदारपुर थाना सिकन्दरा जनपद कानपुर देहात के कब्जे से 02 अदद पिपियों में 30 लीटर देशी अवैध शराब नाजायज बरामद होने के सम्बन्ध में गिरफ्तार कर मु०अ०सं० 86/2024 धारा 60/24 आबकारी अधिनियम पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की गयी।
- थाना बरौर पुलिस द्वारा अभियुक्त पिटू सिंह पुत्र ओमप्रकाश जाति बंजारा निवासी जगम्मनपुर डेरा थाना बरौर जनपद कानपुर देहात के कब्जे से 60 लीटर अवैध कच्ची शराब बरामद होने के सम्बन्ध में गिरफ्तार कर मु०अ०सं० 27/2024 धारा 60 आबकारी अधिनियम पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की गयी।

जनपद में शांति व्यवस्था कायम रखने हेतु जनपद पुलिस द्वारा 09 व्यक्तियों के विरुद्ध थानावार क्रमशः जिसमें थाना रूरा पुलिस द्वारा 02 व्यक्तियों, थाना भोगनीपुर पुलिस द्वारा 02 व्यक्तियों, थाना मूसानगर पुलिस द्वारा 01 व्यक्ति, थाना मंगलपुर पुलिस द्वारा 03 व्यक्तियों, थाना बरौर पुलिस द्वारा 01 व्यक्ति का धारा 151/107/116 द०प्र०सं० के अन्तर्गत चालान किया।